रजिस्टी सं॰ डी॰ एलं॰-33004/99

REGD, NO. D. L.-33004/99

# In Chazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934

No. 4301

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

. नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

का,आ. 466(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), तारीख ७ मई, 2010 द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 के 0.000 किमी से 59.000 (भुवनेश्वर-पुरी खण्ड) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकरण " संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स भुवनेश्वर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड जो 26.04.2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 37-38, जैन भवन, 12, भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110 001 भारत में है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 पर 0.00 कि.मी से 59.00 कि.मी तक भुवनेश्वर-पुरी खण्ड (जिसे इसमें इसके प्रश्चात "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का चार लेन में विभाजित कैरिजवे में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु करार किया है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् उक्त करार संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शिकत्यों का प्रयोग करते हुए उक्त खण्ड के मिर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचानन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज,

युक्तियुक्त प्रत्यागम, यात्रा का परिणाम और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अविध को ध्यान में रखते हुए, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेने के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) मे निर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" सदर्भित किया गया है) और पुलों/संरचना/बाईपास जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जायेगा और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में निर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति
	कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए
	में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा	1.05
मिनी बस	
बस या ट्रक	2.20
भारी संख्या निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूर्विंग	3.45
उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एसएवी)	
(तीन से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )	4.20

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (रूपये प्रति वाहन प्रति फेरा)						
स्थायी पुल, या सुरंग की	कार,	हल्का	ट्रक	भारी निर्माण	बड़े आकार	
लागत (करोड़ रूपये में)	जीप,	वाणिज्यिक	या	मशीनरी अर्थ	के वाहन	
	वैन या	वाहन, हल्का	बस	मूविंग उपस्कर	(सात या	
	हल्का	माल वाहक		या बहुधुरीय वाहन	अधिक	
٠.	मोटर	वाहन या मिनी		(तीन से छह धुरी	धुरी वाले )	
	वाहन	बस		वाले)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10 से 15	5	7.50	15	22	30	
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक	1	1.50	3	4.50	6	
और एक सौ करोड़ रूपए	-					

The state of the s	<del></del>		 	you see a	Annual Control of the
तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच	·		 ,		
करोड़ रूपएं या उसके भाग	-				
के लिए	-				
		<del></del>	 		1 .

#### ाटेप्पणियां:

 नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्निलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय किया जायेगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई	(कि.मी.	में)	जिसके	लिए	शुल्क	संदेय
į.	岩						
राष्ट्रीय राजमार्ग – 203 पर पुरी जिले के निकट		ann a Phone (1997) a' d' a na Amhail ann a mh'irin ann a' d' Amhain a Phone a Nama a		45.30			
पाट साहानिपुर 21.00 कि.मी.							

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्मलिखित पुल (पुलों) बाइपास (बाइपासों)/संरचना (संरचनाओं) के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, के लिए शुल्क निम्मलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान	सुरंग/संरचना की लंबाई (कि.मी. में	i) और लागत (करोड. रूपए में)
(चैनेज)	जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय	Ë
राष्ट्रीय राजमार्ग – 203 पर	11.25 किमी. भुवनेश्वर बाइपास	83.40 करोड. रूपये
पुरी जिले के निकट पाट	10.93 किमी. वाटा मानगाला-पुरी	80.74 करोड. रूपये
साहानिपुर 21.00 कि.मी.	बाइपास	

- 3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।
- राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्निलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा, अर्थात्ः

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं	विधिमान्यता की अवधि
	की अधिकतम संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़	दो	संदाय के समय से
गुणा		चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से
संदेय शुल्क की राशि का दो -तिहाई	,	एक मास

- 5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुजेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुजेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 8. ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित, आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तिवक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/585/सीओ/10-11/जीसी-भुवनेश्वर(0.00-59.00)बीओटी] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2013

S.O. 466(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated 7th May, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 59.000 (Bhubaneswar–Puri section) of National Highway No. 203 in the State of Orissa to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Bhubaneswar Expressway Private Limited, having its registered office at 37-38, Jain Bhawan, 12, Bhagat Singh Marg, New Delhi – 110 001, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 26.04.2010 for the development of Bhubaneswar-Puri section from Km 0.00 to Km 59.00 on National Highway No. 203 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridge/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

T	A	B	Ĭ	F.	1
1	/1	11	A.,	, K,	-

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007- 08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving	3.45
Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	i V
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

TABLE-2

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)							
Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV (Threet o Six Axles)	Oversize d Vehicle (Seven or more Axles)		
10 to 15	5	7.50	15	22	30		
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6		

#### Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

791 68/13-2

	! T -> ' C / R 11 T \ 1	Length (in km) for which
** :		Fee is payable
	Km 21.00 near Paat Sahaniipur in Puri District on	45.30
	NH-203	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/bypass(es)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and C	ost of Tunnel/			
	structure (in Rupees crore) for				
	additional fee is payable				
	Length	Cost			
Km 21.00 near Paat Sahanipur in Puri	Bhubaneswar Bypass,-	Rs. 83.40			
District on NH-203	11.25 Km	crore			
	Bata Mangala-Puri	Rs. 80.74			
	Bypass -10.93 Km	Crore			

- 3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- 5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the base rates of fee as mentioned in Tables -1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provide that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/585/CO/10-11/GC -Bhubaneswar (0.00-59.00) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	***************************************
	,
	And the Market
	A.,
	-